



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274803
CG-DL-E-25072026-274803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3907]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3907]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4077(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के सुरत जिले में NH56 के कि.मी. 208+300 से कि.मी.240+300 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिकरण अधिकारी, ब्रान्च-1, सुरत को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरत जिले में NH-56 के कि.मी. 208+300 से कि.मी. 240+300 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

सरकारी भूमि

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंगरोल					
गांव का नाम: झंखवाव					
1	Railway Line	सरकारी	रेलवे लाइन	0.2007 (हेक्टेयर)	0.2007
2	Road	सरकारी	रोड	0.6253 (हेक्टेयर)	0.6253
तालुक का नाम: उमरपाडा					
गांव का नाम: नासारपोर					
3	452	सरकारी	पड़तर/खराबो	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
4	459	सरकारी	जंगल	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
गांव का नाम: बाडी					
5	Marg	सरकारी	मार्ग	0.0147 (हेक्टेयर)	0.0147
तालुक का नाम: मांडवी					
गांव का नाम: बलेठी					
6	128	सरकारी	जंगल	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
7	137	सरकारी	गौचर	0.1329 (हेक्टेयर)	0.1329

8	5	सरकारी	जंगल	1.3104 (हेक्टेयर)	1.3104
9	62	सरकारी	जंगल	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
गांव का नाम: लुहारवड					
10	167/A	सरकारी	खराबो	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
11	168/B	सरकारी	जंगल	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
12	171/B	सरकारी	जंगल	0.1782 (हेक्टेयर)	0.1782
गांव का नाम: देवगढ					
13	1	सरकारी	पीडबल्यूडी स्टोन क्वेरी	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
14	35	सरकारी	गौचर	0.2596 (हेक्टेयर)	0.2596
गांव का नाम: जुनवाण					
15	KOTAR	सरकारी	कोटर	0.3768 (हेक्टेयर)	0.3768
गांव का नाम: सठवाव					
16	60	सरकारी	जंगल	1.3614 (हेक्टेयर)	1.3614
17	63	सरकारी	जंगल	0.0297 (हेक्टेयर)	0.0297
18	64	सरकारी	जंगल	1.0798 (हेक्टेयर)	1.0798
19	65	सरकारी	जंगल	0.349 (हेक्टेयर)	0.349
20	66	सरकारी	गौचर	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
21	68	सरकारी	गौचर	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
गांव का नाम: बेडधा					
22	53	सरकारी	जंगल	2.8566 (हेक्टेयर)	2.8566
गांव का नाम: वीसडालीया					
23	10	सरकारी	जंगल	0.3338 (हेक्टेयर)	0.3338
24	11	सरकारी	जंगल	0.2166 (हेक्टेयर)	0.2166
25	12	सरकारी	जंगल	0.2077 (हेक्टेयर)	0.2077
26	23	सरकारी	जंगल	0.3881 (हेक्टेयर)	0.3881
27	3	सरकारी	जंगल	1.5281 (हेक्टेयर)	1.5281
28	37	सरकारी	जंगल	0.2374 (हेक्टेयर)	0.2374
29	39	सरकारी	जंगल	0.4238 (हेक्टेयर)	0.4238
30	40	सरकारी	जंगल	0.83 (हेक्टेयर)	0.83

31	7	सरकारी	जंगल	0.7583 (हेक्टेयर)	0.7583
32	River	सरकारी	नदी	0.3407 (हेक्टेयर)	0.3407
Total					14.0898

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4077(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No., in the stretch of land from Km 208+300 to Km 240+300 in the district of SURAT in the State of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Branch- 1, Surat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-56 in the stretch of land from Km. 208+300 to Km. 240+300 in the District of Surat in the State of GUJARAT.

(Government Land)

State: GUJARAT			District: SURAT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mangrol					
Village: Jhankhvav					
1	Railway Line	Government	Railway Line	0.2007 (Hectare)	0.2007
2	Road	Government	Road	0.6253 (Hectare)	0.6253
Taluk: Umrpada					
Village: Nasarpore					
3	452	Government	Padtar/Kharabo	0.0002 (Hectare)	0.0002
4	459	Government	Forest	0.0024 (Hectare)	0.0024

Village: Vadi					
5	Marg	Government	Marg	0.0147 (Hectare)	0.0147
Taluk: Mandvi					
Village: Balethi					
6	128	Government	Forest	0.0101 (Hectare)	0.0101
7	137	Government	GAUCHAR	0.1329 (Hectare)	0.1329
8	5	Government	Forest	1.3104 (Hectare)	1.3104
9	62	Government	Forest	0.0039 (Hectare)	0.0039
Village: Luharvad					
10	167/A	Government	KHARABO	0.0016 (Hectare)	0.0016
11	168/B	Government	Forest	0.0016 (Hectare)	0.0016
12	171/B	Government	Forest	0.1782 (Hectare)	0.1782
Village: Devgad					
13	1	Government	PWD STONE QUARRY	0.0016 (Hectare)	0.0016
14	35	Government	Gauchar	0.2596 (Hectare)	0.2596
Village: Junvan					
15	KOTAR	Government	KOTAR	0.3768 (Hectare)	0.3768
Village: Sathvav					
16	60	Government	Forest	1.3614 (Hectare)	1.3614
17	63	Government	Forest	0.0297 (Hectare)	0.0297
18	64	Government	Forest	1.0798 (Hectare)	1.0798
19	65	Government	Forest	0.349 (Hectare)	0.349
20	66	Government	Gauchar	0.0158 (Hectare)	0.0158
21	68	Government	Gauchar	0.013 (Hectare)	0.013
Village: Beddha					
22	53	Government	Forest	2.8566 (Hectare)	2.8566
Village: Visdaliya					
23	10	Government	Forest	0.3338 (Hectare)	0.3338
24	11	Government	Forest	0.2166 (Hectare)	0.2166
25	12	Government	Forest	0.2077 (Hectare)	0.2077
26	23	Government	Forest	0.3881 (Hectare)	0.3881
27	3	Government	Forest	1.5281 (Hectare)	1.5281
28	37	Government	Forest	0.2374 (Hectare)	0.2374
29	39	Government	Forest	0.4238 (Hectare)	0.4238
30	40	Government	Forest	0.83 (Hectare)	0.83
31	7	Government	Forest	0.7583 (Hectare)	0.7583
32	River	Government	River	0.3407 (Hectare)	0.3407
Total					14.0898

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director